

## निदेशालय

### ॥ गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ॥

जलेय चौक, जयपुर ।

फोन :- 0141-2612592, फैक्स : 0141-2603407, ई-मेल : mca@hgrd.rj.gov.in

Website : Home.Rajasthan.Gov.in/HomeGuards

क्रमांक:- गृरगु/अनु.प्र/आर-1(4-)-2021/10147-95 दिनांक: 16-11-21

स्थाई आदेश संख्या-2/2021


दौरे/रात्रि विश्राम के सम्बन्ध में

प्रशासनिक सुधार (टाईम्स) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (1) प्रसु/टाईम्स/2015 दिनांक 08.04.2015 एवं गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर के पूर्व में जारी आदेश संख्या 14788-835 दिनांक 12.08.2019 का व्यतिक्रमण करते हुए गृह रक्षा विभाग के निम्न अधिकारियों को वार्षिक दौरे व रात्रि विश्राम के मानदण्ड निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	पदनाम	दौरे (वार्षिक कुल)	रात्रि विश्राम (वार्षिक कुल)
1.	उप महासमादेष्टा-प्रथम	12	12
2.	उप महासमादेष्टा-द्वितीय	12	12
3.	निदेशक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा	12	12
4.	सीनियर स्टाफ ऑफिसर-प्रथम	12	12
5.	सीनियर स्टाफ ऑफिसर-द्वितीय	12	12
6.	कमाण्डेन्ट (सिक्युरिटी सैल)	12	12
7.	समस्त गण समादेष्टा	24	24
8.	कार्यालयध्यक्ष (समादेष्टा/उप समादेष्टा)	24	24

- उपरोक्त दौरे व रात्रि विश्राम का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सभी अधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल में मुख्यालय से बाहर स्थित अधिकतर युनिट्स का भ्रमण किया जाना चाहिए, उक्त भ्रमण के दौरान सम्बन्धित अधिकारी उनको आवंटित वार्षिक निरीक्षण का कार्य पूर्ण कर सकते हैं अथवा उन्हें आवंटित क्षेत्र में स्थित कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर यूनिट कार्य का पर्यवेक्षण कर सकते हैं।
- कार्मिक एवं सामान्य प्रशासनिक सुधार अनुभाग-5 के आदेश क्रमांक एफ.8 (3) प्र.सु./4/77 दिनांक 04.12.1980 के द्वारा क्र.सं. 08 व 09 पर अंकित गण समादेष्टा एवं समादेष्टा/उप समादेष्टा, के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिये गये कि गण समादेष्टा वर्ष में 01 बार स्वयं के कार्यालय एवं वर्ष में 02 बार कम्पनी हैडक्वाटर तथा समादेष्टा/उप समादेष्टा वर्ष में 02 बार प्रत्येक माह किसी भी दो उप केन्द्रों का दौरा करेंगे।
- कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यालयों, कम्पनी कार्यालयों तथा उपकेन्द्रों का विजिट करने के पश्चात संक्षिप्त नोट तैयार कर महानिदेशक महोदय के अवलोकन हेतु प्रत्येक माह की 05 तारीख तक सूचना निदेशालय भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

4. क. संख्या 7 व 8 के अतिरिक्त अन्य अधिकारी, स्वयं को आवंटित यूनिट का दौरा करेंगे तथा किये गये दौरे व रात्रि विश्राम की रिपोर्ट आगामी माह की 05 तारीख तक आवश्यक रूप से मुख्यालय (एम सैल) को प्रेषित करेंगे, जिससे महानिदेशक महोदय के अवलोकन पश्चात प्रत्येक माह की 10 तारीख तक सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड किया जाकर सूचना राज्य सरकार को प्रेषित की जा सके।
5. अधीनस्थ कार्यालयों में किये जाने वाले दौरे के दौरान अधिकारियों को जो सरकारी वाहन आवंटित है उसका उपयोग मय वाहन चालक के कर सकेंगे।
- ई. ओ. बी. न.....0.5

  
(उत्कल रंजन साहू)

महानिदेशक एवं महासमादेष्टा  
गृह रक्षा राजस्थान  
जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. उप महासमादेष्टा-प्रथम/द्वितीय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा राजस्थान जयपुर।
4. सीनियर स्टाफ ऑफिसर प्रथम/द्वितीय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. कमाण्डेन्ट (सिक्युरिटी सैल), गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त गण समादेष्टा गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र राजस्थान।
7. समस्त समादेष्टा गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र राजस्थान।
8. नोडल अधिकारी, सीनियर स्टाफ ऑफिसर- द्वितीय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, महानिदेशक /निजी सहायक, अति. महानिदेशक गृह रक्षा मुख्यालय जयपुर।
10. श्री मदन मोहन जोशी व.सहायक मुख्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण, विजिट तथा रात्रि विश्राम संबंधी सूचना " सम्पर्क पोर्टल " पर प्रत्येक माह 10 तारीख से पूर्व आवश्यक रूप से अपडेट करेंगे।
11. गार्ड फाईल।

  
महानिदेशक एवं महासमादेष्टा  
गृह रक्षा राजस्थान  
जयपुर।